

प्रेसनोट

दिनांक- 24.09.2026

थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ ।

हत्या के मामले में वांछित, 25000/- रुपया का इनामिया एक नफर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/ गिरफ्तार,कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना चिरैयाकोट पुलिस व स्वाट टीम द्वारा जरिए मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक- 24.09.2026 को असलपुर पुलिया के पास से मु0अ0स0-107/26 धारा 3(5), 103(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व बढ़ोत्तरी धारा- 3(2)v एससी एसटी एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ से संबंधित वांछित 25000/- रुपया का इनामिया अभियुक्त नीरज कुमार उर्फ टाइगर पुत्र सोहनराम उम्र 27 वर्ष निवासी सराय धनेश थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर का रहने वाला है को घेराबन्दी कर अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया गया जिसपर अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से फायर किया गया, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ एवं आवश्यक बल प्रयोग करते हुए की गई जवाबी फायरिंग में इसके बाएं पैर पर घुटने के नीचे गोली लगी है जिसको पुलिस हिरासत में लिया गया है । घायल को ईलाज के लिए सीएचसी रानीपुर भिजवाया गया है ।अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण घटना - दिनांक-23.08.2026 को गोलू कुमार पुत्र बैजनाथ निवासी जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर ग्राम अमिरहा बारात में हंसराज उर्फ गोल्डी पुत्र हरिद्वार प्रसाद निवासी लखनुवाडीह थाना रानीपुर जनपद मऊ व अनीश कुमार से बारात में लड़ाई झगड़ा मार पीट के विवाद को लेकर दिनांक 14.09.26 को अनीश कुमार उम्र करीब 22 वर्ष को अपने दोस्त गोल्डी पुत्र श्री हरिद्वार राम के साथ मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP54AY5133 से जलालाबाद जनपद गाजीपुर से घर आते समय रास्ते में सरसेना पेट्रोल पम्प से आगे काझा की तरफ पूर्व से घात लगाये हुए विपक्षीगण द्वारा घेर कर जान से मारने की नियत से समय 17.00 बजे अभियुक्तगण द्वारा योजना बद्ध तरीके से गोली मार कर हत्या कर दिया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.नीरज कुमार उर्फ टाइगर पुत्र सोहनराम निवासी सराय धनेश थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर ।

बरामदगी का विवरण-

01अदद अवैध तमन्चा -315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस -315 बोर,

01 अदद खोखा कारतूस – 315 बोर

01 अदद मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद

नीरज कुमार उर्फ टाइगर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- *1* . मु0अ0सं0-14/19 धारा-394,411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ ।
- *2* . मु0अ0सं0-08/19 धारा-394,411 भादवि थाना दुल्लहपुर गाजीपुर ।
- *3.* मु0अ0सं0-09/19 धारा-120बी,302 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना दुल्लहपुर गाजीपुर ।
- *4* . मु0अ0सं0-10/19 धारा-392,411 भादवि थाना दुल्लहपुर गाजीपुर ।
- *5* . मु0अ0सं0-12/19 धारा-307 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम थाना दुल्लहपुर गाजीपुर ।
- *6.* मु0अ0सं0-07/23 धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना दुल्लहपुर गाजीपुर ।
- *7* . मु0अ0सं0-17/19 धारा-392,411 भादवि थाना सैदपुर गाजीपुर ।
- *8* . मु0अ0सं0-10/19 धारा-392,411 भादवि थाना खानपुर गाजीपुर ।
- *9* . मु0अ0सं0-107/2026 धारा-3(5),103(1) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम, 3(2)v एससी एसटी एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ ।

अपहरण कर दुष्कर्म का विडियो वायरल करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्रा के नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 24.09.2026 को कटघरा शंकर बाजार के पास से मु0अ0सं0- 366/2026 धारा 137(2),140(4)(3),351(3) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट व 67बी आईटी एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ से संबंधित वांछित अभियुक्त जमालुद्दीन खां पुत्र स्व0 अब्दुल रहीम निवासी ग्राम दरगाह थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0- 366/2026 धारा 137(2),140(4)(3),351(3) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट व 67बी आईटी एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम

जमालुद्दीन खां पुत्र स्व0 अब्दुल रहीम निवासी ग्राम दरगाह थाना मधुबन जनपद मऊ ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक - 24.09.2026

2.स्थान - कटघरा शंकर बाजार ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 24.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त राजकिशोर पुत्र शिवनाथ निवासी ग्राम मानिक जमीन हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ।

2.थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अजय कुमार कनौजिया पुत्र फूलचन्द्र निवासी ग्राम पुराना गोला बेनी का कुआ थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 24.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 28 टीम गठित कर जनपद के 28 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1410 संदिग्ध वाहनो/व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 451 वाहनो को विभिन्न धाराओ में चालान व 02 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।